न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नेमाराम गोदीपुत्र चुन्नीलाल जाति मालवीय लौहार निवासी कुम्हारो का वास, ढुण्डा लाम्बोडी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. चुन्नीलाल पुत्र हरिराम जाति मालवीय लौहार निवासी कुम्हारो का वास, ढुण्डा लाम्बोडी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।
		2. सुशीला कंवर पत्नि भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी आशापुरा माता कॉलोनी, जोधपुर तह0 व जिला जोधपुर राज0।
		3. सरोज पत्नि रमेश कुमार जाति मालवीय लौहार निवासी गुड़ा रामसिंह तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		4. रेखा पत्नि राजूराम जाति मालवीय लौहार निवासी हरियामाली तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 112/2021

उपस्थितिः—

01. श्री सोहनलाल गौराणा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

02. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 23/07/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ढुण्डा लाम्बोडी तह0 सोजत में स्थित ख0नं0 335 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 359 रकबा 0.61 है0, ख.नं. 857 रकबा 1.22 है0, ख.नं. 873 रकबा 1.47 है0, ख.नं0 874 रकबा 0.0900 है0 कृषि भूमि आयी हुई स्थित हैं। उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 01 के पिता हरिराम पुत्र लादाराम कौम लौहार के नाम की खातेदारी व कब्जासुदा भूमि सम्वत् 2048—51 व 2052—55 तक रही तथा हरिराम के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी व कब्जासुदा वारिश होने से दर्ज किया। अप्रार्थी सं0 1 चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी भंवरीदेवी व पुष्पादेवी तथा प्रार्थी नेमाराम के प्राकृतिक पिता भंवरलाल व प्राकृतिक माता रूकमादेवी ने प्रार्थी नेमाराम को गोद लेने हेतु निवेदन किया। तब परिवार की सहमति से माफिक रीति रिवाज हिन्दू संस्कृति अनुसार गोदनामा की रस्म अदा कर गोद लिया तथा गोदनामा का पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 01.10.2014 को चुन्नीलाल, भंवरीदेवी, पुष्पा, भंवरलाल, रूकमादेवी व नेमाराम ने फोटो गोदनामा के दस्तावेज पर लगाकर अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार प्रार्थी नेमाराम, हरिराम को गोदीपुत्र होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित हैं। अप्रार्थी सं0 01 की नियत बद्ध होने तथा अपनी चल अचल सम्पति वादग्रस्त कृषि भूमि के हक व अधिकारो से प्रार्थी को वंचित करने वेदखल करने की नियत से तथा अपने ससुराल पक्ष साला गीठालाल व राजू को

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

देने की नियत से अन्य व्यक्तियों की सिखावट मे आकर बेईमानीपूर्व राजूराम के पक्ष में वशीयत दिनाक 29.01.2021 को उप पंजीयक कार्यालय सोजत सिटी में निष्पादित करवा दिया। चुन्नीलाल की नियतबद्ध होने से अप्रार्थी सुशीला कंवर का ख.नं. 335 सरोज को ख0नं0 359 व राजूराम को ख0नं0 857 व 874 की भूमि का बेचाननामा दिनाक 31.08.2021 को कर प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से हस्तान्तरण कर दिया। उक्त भूमि पूर्वजों की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित हैं। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करने मे सफल होते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन की प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादस्थ कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार अप्रार्थी सं0 1 था। अप्रार्थी सं0 1 को अपनी खातेदारी भूमि का बेचान, हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। जिन अधिकारों के तहत अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ख.नं. 359, 857, 873, 874 व 335 की कृषि भूमि को बेचान किया। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी का कोई कानूनी हिस्सा नहीं बनता हैं। प्रार्थी अपने आप को गलत गोदीपुत्र बताये हुए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। जबकि प्रार्थी भंवरलाल पुत्र भैराराम का जायंदा पुत्र हैं। प्रार्थी को किसी प्रकार से गोद नहीं लिया गया हैं, न ही प्रार्थी गोदीपुत्र हैं। वास्तविकता अनुसार अप्रार्थी सं0 1 की प्रथन वैध विवाहिता पत्नी भंवरीदेवी थी तथा अप्रार्थी सं0 1 ने द्वितीय नाता विवाह पुष्पा से किया। अप्रार्थी सं0 1 का विवाह माफिक हिन्दू रीति रिवाज अनुसार भंवरीदेवी के साथ हुआ था।'जिनके कोई संतान नहीं होने से प्रथम पत्नी भंवरीदेवी की सहमति से द्वितीय विवाह किया। अप्रार्थी सं0 1 की स्वयं की खरीदसुदा चल–अचल सम्पति आयी हुई स्थित थी। जिन तमाम सम्पतियो पर अप्रार्थी सं0 1 का ही कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा मात्र वादस्थ भूमि का हड़प करने की नियत से वाद पेश किया हैं एवं हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो काबिल खारिज होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। अप्रार्थी सं0 2 से 4 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि वादस्थ भूमि उनकी क्रय व खरीदसुदा भूमि हैं। जिस पर प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी गोदीपुत्र हैं। जिसका वादस्थ भूमि मे 1/3 हक हिस्सा निहित हैं। अप्रार्थीगण की नियत बद्ध हो चुकी हैं। वे प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने तथा बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 वादस्थ कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार था। जिनको अपनी कृषि भूमि को बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार हैं। प्रार्थी मात्र उक्त भूमि का हड़प करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार हैं। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईस्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया। वस्तुतः पक्षकारो के हक अधिकारों को मूल वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य मे रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)